दस रुपये TEN RUPEES

श्री मान माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर

---

राजकुमार पिता कन्हैयालाल   श्री ...... द्वारा / अभिभाषक द्वारा दिनांक 25/4/2012
निवासी- ग्राम मुरादपुरा तह• सांवेर ------------- निगरानीकर्ता
को प्रस्तुत 228/25.4.12

R-1329-PBR/12

विरूद्ध

प्रकाश पिता कन्हैयालाल
निवासी-- 89 सैक्टर बी•नगीन नगर इन्दौर --------- अनावेदक/ विपक्षी

क्रमांक 1151
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 4-5-12 को प्राप्त

( निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता 1959 )

---

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सांवेर जिला इन्दौर म०प्र० के द्वारा अपील क्रमांक 72/अपील/2010-11 मे दिनाक - 28/2/12 को पारीत आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है।

1- निगरानीकर्ता के द्वारा अपने मामा श्री रामेश्वर पिता भागीरथ पंवार निवासी- इन्दौर से रूपये 2,50,000/- उधार लेकर एव 7000/- स्वय की अर्जीत कमाई से ग्राम चित्तौडा तह• सांवेर मे सर्वे न• 112/2, 112/5, 112/7, 112/8 रकबा क्रमशः 0•458, 0•229, 0•229, 0•229 हैक्टर की कृषि भूमि को विधिवत रूप से विक्रेतागण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से पूर्ण प्रतिफल देकर सन 2008 मे खरीदी थी और उसके पश्चात ग्राम पंचायत चित्तौडा के ठहराव क प्रस्ताव क्रमाक 10 के द्वारा दिनाक - 1/4/2008 को विधि की प्रकिया अनुरूप अपना नामान्तरण राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज कराया था चूंकि उक्त सम्पत्ति व्यक्तिगत रूप से निगरानीकर्ता ने स्वतंत्र रूप से अपनी मनमर्जी से खरीदी थी इसीलिये उक्त भूमि की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के समय एव नामान्तरण के वक्त कोई आपत्ति किसी ने भी प्रस्तुत नही की और इस प्रकार सर्वे न• 112/2, 112/5, 112/7 112/8 की ग्राम चित्तौडा तह• सांवेर जिला इन्दौर मे स्थित कृषि भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम निर्विवादित रूप से नामान्तरित हो गया। लेकिन वर्तमान समय मे कृषि भूमियो के भाव अत्यधिक बढ जाने के कारण अनावेदक जो कि क निगरानीकर्ता के पिता की तलाकशुदा पत्नि सुमनबाई का लडका है। ...... ईर्ष्या, जलन व अवैध रूप से निगरानीकर्ता से रूपये ऐठने की नियत से नायब तहसीलदार सांवेर के यहा पर नितान्त असत्य आधारो पर एक नामान्तरण बाबत आवेदन धारा 110 म० प्र० भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर दिया। जिसे

निरन्तर:- 2

R.

| | |
|---|---|
| 16-8-2014 | उभय पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। दिनांक 29.8.2013 की पेशी पर आवेदक की ओर से श्री सुभाष कटेव अभिभाषक उपस्थित हुये हैं। तब से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः लम्बे समय से आवेदक की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। |

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.

न्यायालय नायब तहसीलदार साबेर द्वारा दिनांक - 20/7/2011 को अपने गरीमापूर्ण आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया था तथा अपने आदेश मे लिखा कि आवेदित भूमियो का नामान्तरणग्राम पंचायत चित्तौडा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- 10 आदेश दिनांक -1/4/2008 से नामान्तरण हो चुका है जिसका अभिलेख मे अमल भी हो चुका है। उक्त नामान्तरण की अपील प्रार्थी द्वारा नही की गई, भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को नामान्तरण के अधिकार प्रदत्त किये गये है। प्रार्थी को उक्त नामान्तरण के= मे आपत्ति है तो उसे विधि अनुरूप अपील की कार्यवाही की जाना थी जो न की। इस प्रकार अनावेदक जब निगरानीकर्ता से रूपये ऐठने मे सफल नही हो सका तो उसने एक झुठी कहानी बनाकर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी साबेर के यहा पर अवधी बाह्य असत्य अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सावेर ने त्रुटीवश अंशतः स्वीकार कर ग्राम पंचायत चित्तौडा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 आदेश दिनांक - 1/4/2008 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को गुण दोष के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड कर गम्भीर विधिक भूल की है। जिससे आहत एव दुःखी होकर निगरानीकर्ता निम्न के अतिरिक्त अन्य आधारो पर उक्त निगरानी सादर प्रस्तुत कर रहा है।